दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2:

१विधायी तथा अन्य मामलें ते तम्बन्धित सामान्य जानकारी १ भुकृवार 13 मई, 1994 / वैशास 23, 1916 १्शक्र

संख्या १०.

सदत्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पिषचमी जिला, नई दिल्ली का अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 12 मई, 1994 का निम्नलिखित पत्र 12 मई, 1994 को प्राप्त हुआ।

" श्री मुकेश शर्मा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा को अपने अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 12.5.94 को थाना तिलक नगर के पुलिस अधिकारी के विधि सम्मत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पूर्वाह्न 10-55 बजे नज़रबन्द किया गया । श्री शर्मा को उसी दिन थाना तिलक नगर से पूर्वाह्न 11-05 बजे रिहा किया गया ।

संख्या १।.

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली का अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 12 मई, 1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 13 मई, 1994 को प्राप्त हुआ।

" भुँभ आपको यह तूचित करना है कि आज दिनांक 12-5-94 को पूर्वाह्न 9-15 बजे के आसपास पंडित टेक चन्द भर्मा, दिधायक काँग्रेस १आई१ के 58 समर्थकों सहित दिल्ली में पानी और बिजली की सप्लाई की कमी के विरूध पीपल वाला चौक, एम. बी. रोइ, खानपुर, नई दिल्ली पर एक "धरना" दिया । उन्हें अपने समर्थकों सहित पूर्वाह्न 9-15 बजे से 9-30 बजे के बीच दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया।

पी• एन• गुप्ता सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Friday, May 13. 1994/Vaisakha 23, 1916 (Saka)

No.90

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated the 12th May, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Addl. Deputy Commissioner of Police, West District, New Delhi

"Shri Mukesh Sharma, member, Legislative Assembly, .. Delhi alongwith his other supporters were detained at 10.55 A.M. under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978, for non-compliance of reasonable directions of Police Officer at P.S. Tilak Nagar, on 12.5.1994. Shri Sharma was released on the same day at 11.05 A.M. from P.S. Tilak Nagar."

No.91

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated the 12th May, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Addl. Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi was received on 13th May, 1994 :-

"I have the honour to inform you that today(12.5.94) at about 9.15 A.M. Pt. Tek Chand Sharma, M.L.A. alongwith 58 workers of Congress(I), staged a 'Dharna' at Pepal Wala Chowk, M.B. Road; Khanpur, New Delhi in protest to scarcity of water and electricity supply in Delhi. He alongwith his associates were detained under Section 65 of Delhi Police Act from 9.15 A.M. to 9.30 A.M."

> P.N. GUPTA SECRETARY